आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Directorate of Social Welfare, Goa

Grant in aid for running hostels for SC students

गोवा सरकार एससी और ओबीसी विद्यार्थियों के छात्रावास चलाने वाली संस्थाओं को प्रति आवासी मासिक राशि, किराया और कर्मचारियों का मानदेय देने के लिए सहायता अनुदान देती है।

क्या मिल सकता है

10 महीने तक प्रति आवासी 750 रुपये प्रति माह। छात्रावास को शहरी इलाके में 5000 रुपये या ग्रामीण इलाके में 2500 रुपये मासिक किराया मिलता है, और अधीक्षक को 4000 रुपये, क्लर्क-कम-अटेंडेंट को 2500 रुपये तथा रसोइये को 1500 रुपये मासिक मानदेय मिलता है, यह सब 10 महीने के लिए।

किसके लिए है

गोवा की वे संस्थाएँ जो एससी और ओबीसी विद्यार्थियों के छात्रावास चलाती हैं। विद्यार्थी सीधे आवेदन नहीं करते, छात्रावास चलाने वाली संस्था करती है।

मुख्य शर्तें

- अनुदान एससी और ओबीसी विद्यार्थियों का छात्रावास चलाने वाली संस्था के लिए है।
- छात्रावास में 25 प्रतिशत एससी और 75 प्रतिशत ओबीसी विद्यार्थी पढ़ रहे हों।

दस्तावेज़

- विद्यार्थियों के जाति प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड की प्रति

आवेदन कैसे करें

1. आवेदन पत्र भरें और जाति प्रमाणपत्र तथा आधार की प्रतियाँ साथ लगाएँ।
2. आवेदन ऑफ़लाइन, सीधे पणजी (गोवा) में समाज कल्याण निदेशालय में जमा करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://socialwelfare.goa.gov.in/grant-in-aid-for-running-hostels-for-sc-students/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/goa/goa-sc-obc-hostel-grant-in-aid/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।